भाग – III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हां, दिनांक 24.06.2016, 26.06.2016 एवं दिनांक 22.07.2016 को निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण नोट संलग्न है।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	केन–बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत 6017 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तित हेतु प्रस्तावित है। जिसमें से वनमंडल छतरपुर की 337.55 हे. एवं वनमंडल टीकमगढ़ की 100.52 हे. वन भूमि की एक्सपर्ट कमेटी के अध्ययन एवं अनुशंसाओं के अध्याधीन परियोजना निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है। पन्ना टाईगर रिजर्व अंतर्गत 5578.93 हे. वन भूमि में से 4206.50 हे. वन भूमि क्रिटीकल टाईगर हेबीटाट अंतर्गत आता है। जिसमें गम्भीर पारिस्थितिकीय क्षति सम्भावित है। इस गम्भीर पारिस्थितिकीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित केन–बेतवा लिंक परियोजना की अनुशंसा करना कठिन है। इस परियोजना अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 5.75 लाख हे. में सिंचाई एवं 13.42 लाख लोगो के लिये पेज जल का प्रावधान है। इस परियोजना अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के क्रिटीकल टाईगर हेबीटाट को होने वाली पारिस्थितिकीय क्षति को कम करने व इसकी पूर्ति करने का समग्र विश्लेषण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाकर परियोजना की अनुशंसा पर विचार किया जा सकता है।

तिथि :– 08-08-2016
स्थान :– छतरपुर

लाल सिंह रावत
मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर